राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, जयपुर–302016

क्रमांक प.5सी/3/कम्प/इन्टी–एफएमएस/2016/ 454 दिनांकः15.07.2016

परिपत्र

विषयः– दिनांक 15.8.2016 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजनाओं के ऋण, स्थायी आहरण एवम् दावों के आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने बाबत ।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट भाषण के पैरा संख्या 244 में निम्नाकिंत घोषणा की गई है :–

"समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं जीपीएफ के ऋण, आहरण, अंतिम भुगतान के आवेदन, प्रथम एवं अधिक बीमा कटौती घोषणा आदि पत्रादि ऑनलाईन प्राप्त कर निस्तारण के लिये एसआईपीएफ पोर्टल एवं पे–मैनेजर का सम्पूर्ण इन्टीग्रेशन किया जायेगा, इससे राज्य के लगभग 7 लाख कार्मिक एवं उनके परिजन लाभान्वित होगें ।"

उक्त बजट घोषणा की पालना में दिनांक 15.08.2016 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की निम्नाकिंत गतिविधियों के समस्त कार्य एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत एवम् निस्तारित किये जायेगें :–

1. राज्य बीमा ऋण ।
2. राज्य बीमा परिपक्वता स्वत्व ।
3. राज्य बीमा मृत्यु स्वत्व ।
4. राज्य बीमा अध्यर्पण स्वत्व ।
5. जीपीएफ अस्थाई आहरण ।
6. जीपीएफ स्थाई आहरण ।
7. जीपीएफ अन्तिम दावा भुगतान ।

उक्त प्रार्थना–पत्र/दावों के निस्तारण के संबंध में निम्नाकिंत प्रकिया अपनाई जायेगी :–

1. संबंधित राज्य कर्मचारी /आवेदक (www.sipfportal.rajasthan.gov.in) पर एक्सेस करने हेतु अपना यूजर आई.डी.(16 डिजिट की यूनिक एम्प्लाई आई.डी.) तथा पासवर्ड (8 अंको में जन्म तिथि –DDMMYYYY) का उपयोग करते हुये एसआईपीएफ पोर्टल को ओपन करेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की जन्म तिथि 01.07.1970 है तो पासवर्ड 01071970 का उपयोग किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी ने पूर्व में अपना पासवर्ड बदल लिया है तो बदला हुआ पासवर्ड उपयोग में लिया जायेगा । एप्लीकेशन सबमिशन के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।
2. आवेदक जीपीएफ या राज्य बीमा से संबंधित जिस प्रकार के कार्य हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसके लिये पोर्टल में सम्बन्धित मॉड्यूल में ट्रान्जेक्शन एक्टीविटी को क्लिक करने पर संबंधित एप्लीकेशन ओपन होगी। एप्लीकेशन के कॉलम स्वतः स्पष्ट है जिन्हें क्रमशः पूर्ति करते हुए वांछित दस्तावेजों को अपलोड कर एप्लीकेशन सबमिट की जायेगी ।

3. राज्य कर्मचारी द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र की अपने स्तर पर जॉच कर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जायेगा।

4. प्रार्थना–पत्र/दावों में अंकित तथ्यों का कार्यालय अभिलेख से सत्यापन करने एवं उनके सही होने का दायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा । यदि कोई प्रार्थना–पत्र/दावा अपूर्ण तथा नियमों के अन्तर्गत नहीं है तो उसे पूर्ण कराने का दायित्व भी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात ही प्रार्थना–पत्र/दावा प्रपत्र अग्रेषित किया जायेगा ।

5. दिनांक 15.08.2016 के पश्चात् उपर्युक्त कार्यों हेतु प्रार्थना–पत्र एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें। उक्त ऑनलाईन सबमिटेड एप्लीकेशन के सबमिशन, अप्रूवल, रिजेक्शन एवम् पेमेन्ट से संबंधित सूचना कर्मचारी के एसआईपीएफ पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाईल पर जरिये एसएमएस उपलब्ध कराई जायेगी।

6. राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दावा प्रपत्र मनोनीत/दावेदारों की ओर से संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट/फारवर्ड किया जायेगा ।

7. प्रार्थना–पत्रों को एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट/फारवर्ड करने के तत्काल बाद उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रिन्टेड प्रति विभागीय नियमों में उल्लेखित दस्तावेज यथा जीपीएफ पासबुक, बीमा रिकॉर्ड बुक, क्षतिपूर्ति बॉण्ड, सेवानिवृति आदेश, बीमा पॉलिसी आदि के साथ विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करनी होगी। नियमानुसार अपेक्षित दस्तावेजों की हॉर्डकॉपी प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रकरण के निस्तारण संबंधी कार्यवाही संभव हो सकेगी। आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में प्रकरण आक्षेपित कर वापस लौटा दिया जायेगा।

8. एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्रों का नियमों के अनुसार अप्रूवल होने पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा भुगतान अधिकार पत्र एसआईपीएफ पोर्टल एवं आईएफएमएस/पे–मेनेजर पोर्टल पर ऑनलॉइन उपलब्ध करवाया जायेगा।

9. बीमा विभाग द्वारा जारी उक्त भुगतान स्वीकृति आदेश/भुगतान अधिकार पत्र पर अंकित रेफरेन्स नम्बर के आधार पर संबंधित डीडीओ द्वारा आईएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट कर कोषाधिकारी से पारित करवा कर संबंधित कर्मचारी अथवा दावेदार को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी ।

10. एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र/दावा प्रपत्र सबमिट करने, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उन्हें अग्रेषित करने तथा इस विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अप्रूवल करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा शीघ्र ही ई–सिग्नेचर जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर ई–सिग्नेचर के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन प्रार्थना–पत्रों/दावा प्रपत्रों को ही विभाग द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

11. राज्य कर्मचारियों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रार्थना पत्रों/दावा प्रपत्रो के ऑनलाईन सबमिट करने में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर में स्थापित टोल–फ्री हेल्प लाईन नम्बर 1800–180–6268, हेल्प डेस्क helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in , विभाग के संबंधित जिला कार्यालयों एवं संभागीय अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है, जिनके सम्पर्क सूत्र विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

15/7/2016

(बन्ना लाल)
निदेशक

क्रमांक प.5सी/3/कम्प/इन्टी–एफएमएस/2016/454-540 दिनांकः 15.07.2016

प्रतिलिपि –निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. राज्य प्रमुख, एनआईसी।
5. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, वित्त भवन, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी।
9. समस्त अधिकारी, मुख्यालय/साबीयो/जयपुर।
10. समस्त वरिष्ठ/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभाग.............।
11. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालयों को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त परिपत्र आपके अधिनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को अपने स्तर से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
12. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

(धनलाल शेरावत)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स